

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), अलवर

क्रमांक:- रसद / एफ.पी.एस. नियुक्ति / विज्ञप्ति / 2025 / 2546

दिनांक: 25/6/2025

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ 17 (1) खा. वि. / विधि / 08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ 17(5) खा. वि. / न्याय / महि. आर / 2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत जिले में उचित मूल्य की रिक्त / नवसृजित दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं यथा सहकारी समितियों, महिला समूह आदि से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3 (1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय से 100 रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर दिनांक 26.06.2025 से 15.07.2025 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी अलवर में जमा करवाए जा सकेंगे। रिक्त / नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

उपखण्ड / तहसील / ब्लॉक का नाम	क्र. सं.	ग्राम पंचायत / वार्ड	वितरण स्थल	रिक्त / नवसृजित	वि०वि०
रामगढ़	1	अलावडा	अलावडा	रिक्त	
	2	पाटा	पाटा	रिक्त	महिला हेतु आरक्षित
	3	रसगण	रसगण	रिक्त	
	4	साहडोली	साहडोली	रिक्त	
	5	चिडवा	चिडवा	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	6	डाबरी	मेधावास	नवसृजित	
	कुल स्थान -6, अनारक्षित दुकाने-4, महिला हेतु आरक्षित दुकाने -2				
रैणी	1	पाटन	पाटन	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	2	बिलेटा	बिलेटा	नवसृजित	
	3	रैणी	रैणी	नवसृजित	
	4	सालोली	सालोली	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	5	डेरा	डेरा	रिक्त	
	6	छिलोडी	मोरोडकलां	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	7	छिलोडी	छिलोडी	रिक्त	
	8	राजपुर छोटा	राजपुर छोटा	रिक्त	
	9	उकेरी	उकेरी	नवसृजित	
	कुल स्थान -9, अनारक्षित दुकाने-6, महिला हेतु आरक्षित दुकाने -3				

अल

राजगढ	1	गोलाकाबास	गोलाकाबास	रिक्त	
	2	गोलाकाबास	बिरकडी-i	रिक्त	
	3	गोलाकाबास	बिरकडी-ii	रिक्त	महिला हेतु आरक्षित
	4	टोडाजयसिंहपुरा	टोडाजयसिंहपुरा	रिक्त	
	5	नाडू	नाडू	रिक्त	महिला हेतु आरक्षित
	6	थाना	थाना	रिक्त	महिला हेतु आरक्षित
	7	नयागांव बोलका	डांगरवाडा	रिक्त	
	8	पलावा	पलावा	रिक्त	
	9	पुराना राजगढ	पुराना राजगढ	रिक्त	
	10	धिरोडा	धिरोडा	रिक्त	
	11	बीघोता	बीघोता	रिक्त	महिला हेतु आरक्षित
	12	मोतीवाडा	मोतीवाडा	रिक्त	
	13	मोतीवाडा	टोडा	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	14	राजपुर बडा	राजपुर बडा-i	रिक्त	
	15	राजपुर बडा	राजपुर बडा-ii	रिक्त	
	16	नाथलवाडा	लाकी	रिक्त	
	17	सकट	सकट- i	रिक्त	
	18	सकट	सकट- ii	रिक्त	
	19	श्यालूता	श्यालूता- i	रिक्त	
	20	श्यालूता	श्यालूता- ii	रिक्त	
	21	वार्ड 17 न0पा0 राजगढ	वार्ड 17 न0पा0 राजगढ	रिक्त	महिला हेतु आरक्षित
कुल स्थान -21, अनारक्षित दुकाने-15, महिला हेतु आरक्षित दुकाने -6					
मालाखेडा	1	पूनखर	पूनखर	रिक्त	
	2	जमालपुर	जमालपुर	रिक्त	
	3	जमालपुर	मुंडिया	नवसृजित	
	4	मालाखेडा वार्ड नं0 1	मालाखेडा वार्ड नं0 1	रिक्त	
	5	चौमूं	चौमूं	रिक्त	
	6	हल्दीना	हल्दीना	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	7	कलसाडा	कलसाडा	नवसृजित	
	8	पाला	छाजूरामपुरा	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
कुल स्थान -8, अनारक्षित दुकाने-6, महिला हेतु आरक्षित दुकाने -2					
थानागाजी	1	न0पा0 थानागाजी	न.पा. थानागाजी	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	2	नांगलबानी	नांगलबानी	नवसृजित	
	3	अजबगढ	अजबगढ	रिक्त	
कुल स्थान -3, अनारक्षित दुकाने-2, महिला हेतु आरक्षित दुकाने -1					
लक्ष्मणगढ	1	सौराई	सौराई	रिक्त	
	2	बेरला	बेरला	रिक्त	महिला हेतु आरक्षित
	3	नाहरखोहरा	नाहरखोहरा-i	रिक्त	
	4	नाहरखोहरा	नाहरखोहरा- ii	रिक्त	महिला हेतु आरक्षित
	5	दीनार	दीनार	रिक्त	
	6	न0पा0 लक्ष्मणगढ	न0पा0 लक्ष्मणगढ	रिक्त	
कुल स्थान -6, अनारक्षित दुकाने-4, महिला हेतु आरक्षित दुकाने -2					

Ami

कटूमर	1	सहाडी	सहाडी	रिक्त	
	2	सहाडी	डयोठाना	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	3	मैथना	मैथना	रिक्त	
	4	जहाडू	रीझवास	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	5	रोनिजाथान	रोनिजाथान	नवसृजित	
	6	बेरका	बेरका	नवसृजित	
	7	तसई	तसई	नवसृजित	
	8	बहतुकलां	बल्लुपुरा	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	9	दौतिया	दौतिया	नवसृजित	
	10	सालवाडी	सालवाडी	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	11	सौखरी	सौखरी	नवसृजित	
	12	खौखर	खौखर	नवसृजित	
	कुल स्थान -12, अनारक्षित दुकाने-8, महिला हेतु आरक्षित दुकाने -4				
गोविन्दगढ		रामबास	कदम कॉलोनी	नवसृजित	
		तिलवाड	तिलवाड	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
		ईंदपुर	जहानपुर	नवसृजित	
		दौंगडी	दौंगडी	नवसृजित	
	कुल स्थान -4, अनारक्षित दुकाने-3, महिला हेतु आरक्षित दुकाने -1				
अलवर ग्रामीण	1	अकबरपुर	अकबरपुर	रिक्त	
	2	देसूला	देसूला	रिक्त	
	3	जहारखेडा	जहारखेडा	नवसृजित	
	4	सैंथली	सैंथली	नवसृजित	
	5	ढहलावास	ढहलावास	नवसृजित	महिला हेतु आरक्षित
	कुल स्थान -5, अनारक्षित दुकाने-4, महिला हेतु आरक्षित दुकाने -1				
अलवर शहर	1	स्व. श्री मुकेश कोली, पुराना वार्ड 01	स्व. श्री मुकेश कोली, पुराना वार्ड 01	रिक्त मृत्यु के कारण	महिला हेतु आरक्षित
	2	स्व. श्रीमती हरबाई मीणा, पुराना वार्ड 29	स्व. श्रीमती हरबाई मीणा, पुराना वार्ड 29	रिक्त मृत्यु के कारण	महिला हेतु आरक्षित
	3	श्री हितेश सैन, पुराना वार्ड 32	श्री हितेश सैन, पुराना वार्ड 32	रिक्त निरस्त के कारण	
	4	अ0स0उ0भ0, पुराना वार्ड 44	अ0स0उ0भ0, पुराना वार्ड 44	रिक्त निरस्त के कारण	
	5	श्री अतर सिंह, पुराना वार्ड 22	श्री अतर सिंह, पुराना वार्ड 22	रिक्त निरस्त के कारण	
	6	श्रीमती महिमा बेनीवाल, पुराना वार्ड 08	श्रीमती महिमा बेनीवाल, पुराना वार्ड 08	रिक्त निरस्त के कारण	
	7	श्री अरुण भारद्वाज, पुराना वार्ड 23	श्री अरुण भारद्वाज, पुराना वार्ड 23	रिक्त निरस्त के कारण	



8	श्री रामवीर, पुराना वार्ड 23	श्री रामवीर, पुराना वार्ड 23	रिक्त निरस्त के कारण	
9	श्रीमती अंगूरी देवी, पुराना वार्ड 42	श्रीमती अंगूरी देवी, पुराना वार्ड 42	रिक्त, त्याग पत्र के कारण	महिला हेतु आरक्षित
10	श्री रमेश ग्रोवर, पुराना वार्ड 1	श्री रमेश ग्रोवर, पुराना वार्ड 1	रिक्त, त्याग पत्र के कारण	
11	श्री ज्ञानचंद मोदी, पुराना वार्ड 39	श्री ज्ञानचंद मोदी, पुराना वार्ड 39	रिक्त निरस्त के कारण	
कुल स्थान -11, अनारक्षित दुकाने-8, महिला हेतु आरक्षित दुकाने -3				

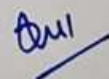
उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1) खा.वि. /विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय अलवर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताएं निम्नानुसार होंगी-

12. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदन उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी, जिसमें उसके उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
13. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कंप्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक से स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा यदि आवेदक कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा कि चयनित होने के छह माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा, वह व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा
14. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन

Sul

- होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकान दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परंतु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।
15. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरांत जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
16. आवेदक द्वारा निम्न बिंदुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा—
- आवेदक पूर्व में इसी एक्ट के तहत दंडित नहीं हुआ है।
 - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
 - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
 - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
 - आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
 - आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है चाल चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है
 - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
17. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/- रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/- रुपये होना आवश्यक है।
18. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगे।
- समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो
 - समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
 - समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेने देने में संलग्न हो।
19. आवेदक /समितियों /समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
20. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
21. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।
22. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

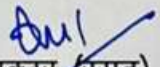


उक्त रिक्तियों के सम्बन्ध में अनुकम्पात्मक नियुक्ति अथवा रिजीजन का प्रकरण होने पर नियुक्ति सम्बन्धित न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगी तथा ऐसी स्थिति में रिक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी । उक्त रिक्तियों की संख्या में कमी / बढ़ौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने / ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।


जिला कलक्टर (रसद)
अलवर

क्रमांक:- रसद/एफ.पी.एस. नियुक्ति/विज्ञप्ति/2025/2547-2608 दिनांक: 25/6/2025
प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01 श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
- 02 अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
- 03 उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
- 04 ए0सी0पी0 खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट **food.raj.nic.in** पर अपलोड करावें।
- 05 माननीय सांसद महोदय, अलवर /दौसा/भरतपुर।
- 06 माननीय विधायक महोदय समस्त जिला अलवर।
- 07 समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला अलवर/तहसीलदार समस्त जिला अलवर।
- 08 आयुक्त नगर परिषद अलवर।
- 09 विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त जिला अलवर।
- 10 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त जिला अलवर।
- 11 प्रबंधक राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम अलवर।
- 12 सहायक निदेशक जिला सम्पर्क कार्यालय अलवर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
- 13 रक्षित पत्रावली।


जिला कलक्टर (रसद)
अलवर